Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 135: Compliance by the registered person

Any order passed by the Authority under these rules shall be immediately complied with by the registered person failing which action shall be initiated to recover the amount in accordance with the provisions of the Integrated Goods and Services Tax Act or the Central Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act of the respective States, as the case may be.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 135 : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुपालना

इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की अनुपालना तुरंत रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके न होने पर, यथास्थिति एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या अपने—अपने राज्यों के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार रकम वसूलने की कारवाई आरंभ की जाएगी।